

From no |||

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

..... मांगीलाल

बनाम

..... मंगला

किस्म मुकदमा :- 188 R.T. 1st

नंबर 33 वर्ष 2023

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|---|
| 27-11-24 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अहकाम पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-1-25 को पेश हो | |
| 22-1-25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अहकाम पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-1-25 को पेश हो | |
| 27-2-25 | वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते धारा 151 C.P.C. के तहत राजस्व वाद पत्र को विद्वा करने बाकत तथा नये तथ्यों के साथ पुनः राजस्व वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने बाकत पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। प्रस्तुत पत्र अनुसार वादी उक्त राजस्व वाद को विद्वा करना चाहता है तथा नये तथ्यों के समावेश के साथ पुनः राजस्व वाद प्रस्तुत करेंगे। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने पहचान स्व रूप आधार कार्ड सं. 561815073064 की स्व-हस्ताक्षरित फोटो प्रति पेश की। वादी की पहचान वकील वादी द्वारा की गयी। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वकील वादी एवं वादी को सुना गया। तदनुसार उक्त राजस्व वाद को विद्वा करने एवं नये तथ्यों के साथ पुनः राजस्व वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की | <p style="text-align: right;">Jalshree Singh</p> |

मु.नं. 33/23 भांगीलाल भंगला

जाती ही पत्रावली फॅसल सुमाव लेकर नम्बर
से कम होय

उपखण्ड अधिकारी
रायनागड़ (अजमेर)